मेन्स मास्टर

वैश्विक परमाणु व्यवस्था तनाव में है

संदर्भ

लेख ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर (जीएनओ) के उदय, सफलताओं और चुनौतियों की पड़ताल करता है, शीत युद्ध के युग में इसकी उत्पत्ति, परमाणु प्रसार को रोकने में इसकी उपलब्धियों और भू-राजनीतिक बदलावों, संधि विवादों के कारण इसके सामने आने वाली समकालीन चुनौतियों का पता लगाता है। विकसित हो रही परमाणु गतिशीलता। यह बदलती वैश्विक शक्ति के खेल और आधुनिक परमाणु वास्तविकताओं के बीच जीएनओ की स्थिरता पर सवाल उठाता है।

ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर (जीएनओ) शीत युद्ध के दौरान स्थापित प्रणाली को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार का प्रबंधन करना, परमाणु शक्तियों के बीच स्थिरता बनाए रखना और सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना था। इसमें परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण और तैनाती को नियंत्रित करने के साथ-साथ दुनिया भर के देशों के बीच अप्रसार प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख शक्तियों द्वारा की गई संधियों, समझौतों और तंत्रों को शामिल किया गया है। जीएनओ ने परमाणु संघर्ष को रोकने और वैश्विक स्तर पर परमाणु क्षमताओं से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए मानदंड, विनियम और सहयोग स्थापित करने की मांग की।

वैश्विक परमाणु व्यवस्था (जीएनओ) का गठन:

- **शीत युद्ध की वास्तविकताएँ:** क्यूबा मिसाइल संकट के कारण अमेरिका और यूएसएसआर के बीच द्विपक्षीय तंत्र की स्थापना हुई, जिससे परमाणु तनाव की रोकथाम की आवश्यकता को पहचाना गया।
- **परमाणु अप्रसार:** परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका और यूएसएसआर द्वारा शुरू की गई बहुपक्षीय वार्ता से उभरी।
- **नियंत्रणों का निर्माण:** शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को विनियमित करने और विस्फोटक प्रयासों में इसके उपयोग को रोकने के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का गठन किया गया था।

जीएनओ की सफलताएँ और चुनौतियाँ:

- **परमाणु हथियारों के खिलाफ निषेध**: एक वैश्विक सर्वसम्मति ने 1945 से परमाणु हथियारों के खिलाफ निषेध को बरकरार रखा है, हालांकि इस निषेध को बनाए रखने में हथियार नियंत्रण की भूमिका बहस का मुद्दा बनी हुई है।
- **हथियार नियंत्रण प्रयास:** यूएस-यूएसएसआर परमाणु हथियारों की दौड़ को रोकने में सीमित सफलता के बावजूद, हथियार नियंत्रण समझौतों ने शीत युद्ध के बाद परमाणु शस्त्रागार में कमी में योगदान दिया।
- **रणनीतिक स्थिरता:** शीत युद्ध के दौरान सुनिश्चित दूसरी-हमले की क्षमता में निहित रणनीतिक स्थिरता की अवधारणा, आज के विकसित भू-राजनीतिक परिदृश्य में चुनौतियों का सामना कर रही है।

बदलती भूराजनीति और प्रभाव:

- **बहुध्रुवीय विश्व में बदलाव:** अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने वाले अधिक मुखर चीन के उद्भव ने वैश्विक परमाणु परिदृश्य को नया आकार दिया है।
- **संधि विवाद:** एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल (एबीएम) संधि और इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (आईएनएफ) संधि जैसी महत्वपूर्ण परमाणु संधियों से अमेरिका के हटने से रूस के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।
- **चिंताएँ और नई गतिशीलता:** रूसी चेतावनियों और कृपाण-धड़न के कारण बढ़ते तनाव ने परमाणु चिंताओं को फिर से जन्म दिया है, जिससे पिछली स्थिरता परिभाषाएँ अप्रभावी हो गई हैं।

जीएनओ के लिए वर्तमान चुनौतियाँ:

- **पुराना ढाँचा:** शीत युद्ध-युग का ध्यान विकसित परमाणु प्रौद्योगिकियों और बदलती वैश्विक गतिशीलता के अनुकूल अप्रसार संघर्षों पर था।
- **अस्थिर संधि अनुपालन:** परमाणु सौदों में अमेरिका का व्यावहारिक दृष्टिकोण, कुछ प्रसार उदाहरणों पर आंखें मूंद लेना, संधि के पालन और स्थिरता के बारे में चिंताएं पैदा करता है।
- **बदलते गठबंधन:** वैश्विक गठबंधनों और देशों की घरेलू मजबूरियों में बदलाव, विशेष रूप से पूर्वी एशिया में, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए परमाणु हथियारों पर पुनर्विचार को प्रेरित कर सकता है।

राजभवन को आमूल-चूल सुधार की जरूरत है

केंद्रीय मुद्दा: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का हालिया विवादास्पद व्यवहार एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है: विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपालों को कैसा आचरण करना चाहिए और जब वे स्वीकार्य मानदंडों से विचलित होते हैं तो उनके कार्यों के कानूनी परिणाम क्या होते हैं?
संवैधानिक नैतिकता और विशिष्ट दिशानिर्देशों का अभाव: जबकि संविधान राज्यपालों के कार्यों, शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, इसमें उनके व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित दिशानिर्देशों का अभाव है। हालाँकि, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा राज्यपालों को अपने सार्वजनिक आचरण में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देती है। इस धारणा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनसीटी दिल्ली बनाम भारत संघ (2018) में जोर दिया गया था।

राज्यपाल की छूट और कदाचार:
अनुच्छेद 361 राज्यपालों को सीमित छूट प्रदान करता है, लेकिन उनकी आधिकारिक क्षमता से बाहर के कार्यों के लिए नहीं। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को "प्रेरित और मनमौजी आचरण" के लिए जवाबदेह ठहराया, यहां तक कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी की। हालाँकि, संविधानेतर इशारों और कथनों के लिए छूट के संबंध में प्रश्न बने हुए हैं।

सार्वजनिक पदाधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जवाबदेही:
कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) में, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक पदाधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार किया, साथ ही सरकार के आधिकारिक रुख के साथ संरेखित नहीं होने वाले बयानों के लिए संभावित व्यक्तिगत दायित्व पर भी प्रकाश डाला। यह बात राज्यपालों पर भी लागू होती है, जब उनके कार्य या शब्द उनकी संवैधानिक भूमिका से काफी भिन्न होते हैं।

सरकारिया और पुंछी आयोग की रिपोर्ट:
दोनों आयोगों ने राज्यपालों को निष्पक्ष होने और स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ संबंधों से बचने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। पुंछी आयोग ने विशेष रूप से राज्यपालों को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में नियुक्त करने के संभावित नुकसानों पर ध्यान दिया, जो केरल में विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है।

केरल के राज्यपाल का मामला: प्रोटोकॉल का उल्लंघन और एकतरफा कार्रवाई: बिना किसी पूर्व घोषणा के राज्यपाल की हाल ही में कालीकट विश्वविद्यालय की यात्रा और छात्र कार्यकर्ताओं और मुख्यमंत्री के खिलाफ उनकी अपमानजनक टिप्पणियां संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक वैधता के पालन के बारे में चिंता पैदा करती हैं।

भविष्य के कदम और विचार:
राज्यपाल की नियुक्तियों के दौरान मुख्यमंत्रियों के साथ परामर्श सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन करना, जैसा कि सार्वजनिक उपक्रमों पर राज्य सभा समिति ने सुझाव दिया है, अधिक सद्भाव सुनिश्चित करने और भविष्य के संघर्षों को रोकने की दिशा में एक कदम हो सकता है।

कुल मिलाकर:
भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका को गंभीर पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। उनके संवैधानिक अधिकार का सम्मान करते हुए, हमें उन्हें उनकी आधिकारिक क्षमता से बाहर उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका आचरण संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों को कायम रखे।

चीन से जोखिम को दूर रखने के लिए भारत वैश्विक गठबंधन पर मुहर लगाना चाहता है

महत्वपूर्ण खनिजों की भारत की खोज:
रणनीतिक वैश्विक साझेदारी:
भारत गठबंधन और चर्चा के माध्यम से लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने के लिए अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है, और चीन से परे अपने स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है।
केंद्रित खनिज रणनीति:
लिथियम, कोबाल्ट, निकल और अन्य सहित 24 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची के साथ, भारत का लक्ष्य अपनी शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धता और तकनीकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न उद्योगों में इन खनिजों का उपयोग करना है।

निर्भरता चुनौतियाँ और आयात लागत:
भारत लिथियम आयात के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे सालाना लगभग ₹24,000 करोड़ का आयात बिल आता है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण बढ़ने की उम्मीद है।
की गई रणनीतिक कार्रवाइयां:
खनन सहयोग और अन्वेषण:
भारत अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक हासिल करने के लिए समझौतों पर काम कर रहा है और आपूर्ति समझौतों और खदान विकास के लिए अर्जेंटीना के राज्य के स्वामित्व वाली खनिक कैमयेन के साथ उन्नत बातचीत कर रहा है। इसके अतिरिक्त, ऑस्ट्रेलिया में लिथियम और कोबाल्ट परियोजनाओं के लिए उचित परिश्रम चल रहा है।
चिली में अन्वेषण और घरेलू प्रयास:
भारत ने लिथियम व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए चिली के ENAMI के साथ एक गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पहल के माध्यम से घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों की गहन खोज कर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
खनिज सुरक्षा भागीदारी:
अमेरिका के नेतृत्व में खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल होकर, भारत अपनी खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए तीन परियोजनाओं में भाग लेने में रुचि व्यक्त कर रहा है।
ऑस्ट्रेलिया के साथ CECA:
ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) महत्वपूर्ण खनिज खनन और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को शामिल करता है, जो भारत को सहयोग के अवसर प्रदान करता है।
घरेलू पहल:
नीति सुधार और नीलामी:
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में भारत के संशोधनों का उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, जबकि महत्वपूर्ण खनिजों के लिए चल रही नीलामी और नीतिगत सुधार घरेलू खनिज अन्वेषण और निष्कर्षण प्रयासों का समर्थन करते हैं।

प्रीलिम्स बूस्टर

क्रूड पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया गया

💰 सरकार द्वारा उन उद्योगों या व्यवसायों पर अप्रत्याशित कर लगाया जाता है जिन्होंने अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण असाधारण लाभ कमाया है। (अप्रत्याशित कर परिभाषा)
🏭 यह कर मुख्य रूप से कमोडिटी-आधारित व्यवसायों को लक्षित करता है और इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण को लाभ पहुंचाने या सार्वजनिक परियोजनाओं को निधि देने के लिए अत्यधिक मुनाफे का पुनर्वितरण करना है। (अप्रत्याशित कर का उद्देश्य)

🤔 ऐसे कर का कार्यान्वयन और अनुमानित निष्पक्षता बहस और विवाद का विषय हो सकती है। (अप्रत्याशित कर पर बहस)

💸 व्यक्तिगत कर जैसे विरासत कर या बड़ी लॉटरी या गेम-शो की जीत पर कर को भी अप्रत्याशित कर के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि वे अचानक या अप्रत्याशित वित्तीय लाभ पर अतिरिक्त शुल्क लगाते हैं। (व्यक्तिगत अप्रत्याशित कर)

111. आर० बी० आई० के विदेशी मुद्रा भंडार (एफ० ई० आर०) में, निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं?

1. विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियाँ (एफ० सी० ए०)
2. सोना
3. विशेष आहरण अधिकार (एस० डी० आर०)
4. आरक्षित किश्त स्थिति

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

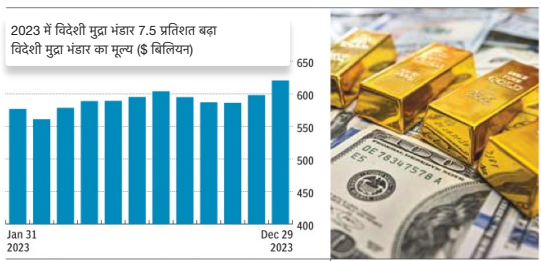

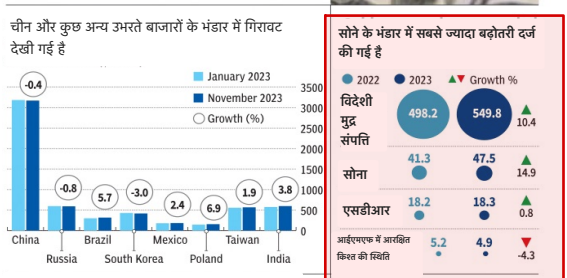

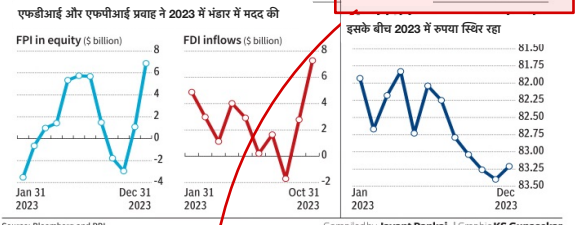

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त सभी

69th BPSC Prelims!

म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था जल्द ही समाप्त होगी, भारत में प्रवेश के लिए वीज़ा की आवश्यकता होगी

🛂 मुक्त आवाजाही व्यवस्था कुछ जातीय समूहों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों में निहित यात्रा दस्तावेजों या वीजा के बिना म्यांमार-भारत सीमा पार करने की अनुमति देती है।

👥 यह मुख्य रूप से नागा, कुकी और अन्य स्वदेशी समुदायों जैसे जातीय समूहों को लाभ पहुंचाता है, जिससे सीमा पार सामाजिक और आर्थिक कनेक्शन की सुविधा मिलती है।

📦 यह अनौपचारिक व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाता है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और सीमावर्ती समुदायों की आजीविका में योगदान देता है।

⚠️ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण होते हुए भी, इसने सुरक्षा, अवैध प्रवासन और सीमा पार गतिविधियों से संबंधित चिंताओं को बढ़ा दिया है, जिससे कानून प्रवर्तन और सीमा प्रबंधन के लिए चुनौतियां पैदा हो गई हैं।

यू.एस. तक पहुँचने के प्रयास में डेरियन गैप को पार करने वाले नाबालिगों की संख्या

🌎 डेरियन गैप, डेरियन के इस्तमुस में एक भौगोलिक क्षेत्र है, जो मध्य अमेरिका के भीतर अमेरिकी महाद्वीपों को जोड़ता है, जिसमें पनामा के डेरियन प्रांत और कोलंबिया के चोको विभाग के उत्तरी भाग में एक बड़ा जलक्षेत्र, जंगल और पहाड़ शामिल हैं।

'ज्वालामुखी पर्यटक' जो विस्फोटों को देखने की होड़ करते हैं आइसलैंड पर

- 🌋 लेख में उल्लिखित ज्वालामुखीय स्थलों में शामिल हैं:
- ग्रिंडाविक, आइसलैंड: हाल ही में हुए विस्फोट के गवाह पर्यटक आकर्षित हुए।
- आईजफजालजोकुल, आइसलैंड: राख के कारण 2010 में यात्रा अराजकता हुई।
- फाग्राडल्सफजाल ज्वालामुखी, आइसलैंड: 2021 में विस्फोट हुआ, जो आगंतुकों को आकर्षित कर रहा है।
- मौना लोआ, हवाई: हाल ही में विस्फोट हुआ, जिसने बिना किसी खतरे के दर्शकों को आकर्षित किया।
- मारापी, इंडोनेशिया: हाल ही में विस्फोट हुआ, जिससे पर्वतारोहियों की मौत हो गई।
- व्हाइट आइलैंड (वाकारी), न्यूजीलैंड: 2019 में हुए विस्फोट के बाद से बंद है जिसमें पर्यटक मारे गए थे।

स्टारलिंक

- 🛰️ स्पेसएक्स का सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क, स्टारलिंक, 70 से अधिक देशों को कवर करता है और इसका लक्ष्य 2023 तक मोबाइल फोन कनेक्टिविटी सहित विश्व स्तर पर अपनी सेवाओं का विस्तार करना है।
- 🌏 2019 में लॉन्च किए गए, नेटवर्क में कम पृथ्वी की कक्षा (LEO) में तैनात 5,500 से अधिक छोटे उपग्रह शामिल हैं, शुरुआत में लगभग 12,000 को तैनात करने और भविष्य में 42,000 तक विस्तार करने की योजना है।
- 📡 नेटवर्क उपग्रहों और नामित ग्राउंड ट्रांसीवर के बीच संचार लिंक स्थापित करके संचालित होता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक कवरेज और मजबूत कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है, जो वैश्विक इंटरनेट पहुंच और संचार को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है।

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org